दिनांक 17.02.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त आकाश गोयल की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता सिर्फ आज के लिए स्वीकार की जाती है। शेष अभियुक्त सौरभ गोयल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

अभियुक्त सौरभ गोयल की ओर से प्रार्थना पत्र 64ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस सत्र परीक्षण में विवेचक द्वारा संकलित डी.वी.डी. वस्तु प्रदर्श–2, जिसे न्यायालय में सफाई साक्षी आकाश गोयल के बयान के समय खोला गया था, तो उक्त डी.वी.डी. न्यायालय के समक्ष नहीं चल सकी, क्योंकि उक्त डी.वी.डी. में कभी भी कुछ राइट नहीं किया गया था तथा उक्त डी.वी.डी. एक ब्लैंक डी.वी.डी. है, जिसमें कभी भी कुछ राइट न किये जाने के कारण, उक्त डी.वी.डी. न्यायालय के समक्ष नहीं चल सकी थी। विवेचक श्री कपिल कुमार नैन के द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वीडियो हमारे थाने के कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा फोन से लेकर डी.वी.डी. में सेव किया था, उसने मृतक का मोबाइल फोन जिसमें मृतक का वीडियो था, शामिल विवेचना नहीं किया था, बल्कि उसकी डी.वी.डी. बनाकर उसी दिन वादी मुकदमा को वापस कर दिया था। बाद में डी.वी.डी.चलाकर उसका वीडियो देखा था। उक्त डी.वी.डी. को उसने शामिल विवेचना किया था। उक्त डी.वी.डी.पत्रावली पर कागज सं0 9ब के साथ नत्थी की गयी थी, जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया है। आगे विवेचक ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा संकलित साक्ष्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य उपरोक्त डी.वी. डी. में कैद मृतक का वीडियो ही था, जिस पर भरोसा करके मेरे द्वारा अवधारित किया गया कि अभियुक्तगण मृतक को आत्महत्या के उकसाने के लिए दोषी हैं। इस बात का समाधान किया जाना आवश्यक है कि उक्त डी.वी.डी. न्यायालय में ब्लैंक डी.वी.डी. होने के कारण नहीं चल सकी अथवा उक्त डी.वी.डी. के न्यायालय में न चलने का कारण कोई तकनीकी त्रुटि थी। इसका समाधान मात्र उक्त डी.वी.डी. को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा फोरेंसिक जाँच के द्वारा ही किया जा सकता है कि डी.वी.डी.वस्तु

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 1, आगरा
सत्र परीक्षण संख्या–555/2022

राज्य बनाम आकाश गोयल आदि
धारा 306 भा0द0सं0
अपराध सं0 41/2021
थाना लोहामण्डी, आगरा।

प्रदर्श–2 एक ब्लैंक डी.वी.डी. थी अथवा उक्त डी.वी.डी. में कभी कोई वीडियो सेव नहीं किया गया था। इसी आधार पर अभियुक्त की ओर से उक्त डी.वी.डी. की फोरेंसिक जॉच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है, किन्तु सुनवायी के दौरान मौखिक आपत्ति करते हुए यह कहा गया है कि आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुपालन में पी–डब्ल्यू 1 वादिनी मुकदमा का बयान नहीं हो सके, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र दिया गय है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया तााि पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सुनवायी के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुपालन में आज कार्यवाही की जानी है, उसको विलम्बित करने का उनका कोई आशय नहीं है। वादिनी मुकदमा का बयान उपरोक्त आदेश के प्रकाश में कराने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। उनका यह कहना है कि आरोपपत्र के साथ दाखिल उपरोक्त डी.वी.डी.जब न्यायालय में चलाई जा रही थी तो वह नहीं चल सकी थी, वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि उक्त डी.वी.डी. में कोई तत्व सुरिक्षत किये गये हैं अथवा नहीं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली सफाई साक्ष्य में चल रही थी, इसी दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र दिया गया है। डी.वी.डी. का फोरेंसिक जाँच कराने का पूरा अधिकार बचाव पक्ष को है कि उक्त डी. वी.डी. में कथित घटना के बावत कोई वीडियो सुरक्षित है अथवा नहीं, प्रस्तुत मामले को गुण–दोष के आधार पर समुचित निस्तारण के लिए उपरोक्त डी.वी.डी. का फोरेंसिक परीक्षण कराया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र 64ख स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर संलग्न डी.वी.डी. वस्तु प्रदर्श–2 को फोरेंसिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाल, आगरा को नियमानुसार भेजा जाये।

अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक 05.02. 2025 के अनुपालन में कथित इलैक्ट्रिोनिक अभिलेख न्यायालय में दाखिल करें तथा उसकी एक कापी बचाव पक्ष को भी प्रदान करें। पत्रावली आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुपालन में वास्ते साक्ष्य वादिनी मुकदमा दिनांक 27.02.2025 को पेश हो।

ह0

दिनांक 17.02.2025 अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं01,
आगरा।